

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 446] No. 446] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 2007/आश्विन 9, 1929

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 2007/ASVINA 9, 1929

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्टास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2007

सा.का.नि. 641(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के शुद्धि-पत्र सं. सा.का.नि. 408(अ) दिनांक 31 मई, 2007, (सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लैबलिंग) नियमावली, 2006, की अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"ये पहली दिसम्बर, 2007 से प्रवृत्त होंगे ।"

[फा. सं. पी.-16011/7/2005-पी एच] भवानी त्यागराजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st October, 2007

G.S.R. 641(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare No. G.S.R. 408(E) Corrigendum dated 31st May, 2007 to be Cigarettes and other Tobacoo Products (Packaging and Labelling) Rules, 2006, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary for the effective date of operation the following shall be substituted:

"They shall come into force on the 1st day of December, 2007."

[F. No. P-16011/7/2005-PH] BHAVANI THYAGARAJAN, Jt. Secy.